भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1867

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन का प्रभाव

1867. श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
श्री सतीश कुमार गौतमः
श्री गणेश सिंहः
श्री आलोक शर्माः
श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री तेजस्वी सूर्याः
डॉ. के. सुधाकरः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री विजय कुमार दूबेः
डॉ. हेमांग जोशीः
श्री विजय बघेलः
श्री मनीष जायसवालः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्री अभिमन्यु सेठीः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री महेश कश्यपः
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री राजकुमार चाहरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश के ग्रामीण परिवारों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराया जा सका है और यदि हाँ, तो राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र के जलगाँव लोक सभा क्षेत्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ख) सभी को पाइप से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वर्ष 2024 तक क्या प्रगति हुई है और देश भर में, विशेषकर महाराष्ट्र के पालघर जिले और जलगाँव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और मध्य प्रदेश के शहडोल और सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य-वार कवरेज की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा झारखंड सहित देश में, विशेषकर हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में, जेजेएम के अंतर्गत कार्यान्वित जल आपूर्ति योजनाओं की निरंतरता और एकरूपता बनाए रखने के लिए अवसंरचना के संचालन और रखरखाव, सामुदायिक भागीदारी और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर, हिमाचल प्रदेश के शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल जिले, और ओडिशा के कटक सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल स्रोतों के उपचार तथा जल परीक्षण प्रयोगशालाओं और क्षेत्र परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था सहित पेयजल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या पहल की गई है;

(ङ) क्या सरकार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन, निष्पादन में देरी, प्रशासनिक अड़चनों और तकनीकी बाधाओं जैसी चुनौतियों की जानकारी है और यदि हां, तो इनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) महाराष्ट्र के पालघर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और अब तक स्वीकृत और आवंटित धनराशि क्या है तथा सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख)**:** जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों तक नल जल की पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत 12.52 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 08.12.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.75 करोड़ (81.40%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल

आपूर्ति होने की सूचना है। नल कनेक्शनों का राज्य-वार और जिला-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMState.aspx

08.12.2025 तक वर्तमान स्थिति के साथ 2024 तक जेजेएम के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। जलगाँव, पालघर, चिक्कबल्लापुर, शहडोल और सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जेजेएम के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन का जिला-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): जल आपूर्ति स्कीमों के नियमित संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी को योजनाओं को सौंपने, उन्हें प्रयोक्ता प्रभार लगाने के लिए सशक्त बनाने, प्रयोक्ता प्रभारों की वसूली के लिए महिला स्वयं-सहायता समूहों को नियुक्त करने के प्रावधान के साथ व्यापक संचालन एवं रखरखाव नीति लागू करें। जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से 15वें वित्त आयोग के तहत जल और स्वच्छता के लिए सशर्त अनुदान का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। कमी के मामले में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जेजेएम के तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करेंगे।

(घ): संदूषकों के लिए नियमित परीक्षण सहित परिवारों में पाइप द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं -

i) जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है।

ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम बनाने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रहण, रिपोर्टिंग, पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से रिपोर्ट किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

iii) कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत धनराशि के अपने वार्षिक आवंटन का 2 प्रतिशत तक उपयोग कर

सकते हैं, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता लाना, शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

iv) जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ग्राम स्तर पर फील्ड टेस्ट किट (एफटीके)/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके जल गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं की पहचान करें तथा उन्हें प्रशिक्षण दें और डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी सूचना दें।

(ङ): आयोजना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निगरानी और सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में जेजेएम की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, आयोजना तथा कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करना, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र दौरे आदि शामिल हैं।

(च): पेयजल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। स्वीकृत निधि का जिला-वार ब्यौरा, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1867 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(संख्या लाख में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल ग्रामीण परिवार**	**15.8.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार**		**01.04.2024 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार**		**08.12.2025 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार**	
			संख्या	**% में**	**संख्या**	**% में**	**संख्या**	**% में**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.62	100.00	0.62	100.00
2	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	70.04	73.32	71.13	74.45
3	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.29	100.00	2.29	100.00
4	असम	72.24	1.11	1.54	54.90	75.99	58.99	81.65
5	बिहार	167.55	3.16	1.89	160.35	95.70	160.36	95.71
6	छत्तीसगढ़	49.98	3.20	6.40	38.97	77.97	40.82	81.67
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमण व दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00	0.85	100.00
8	गोवा	2.64	1.99	75.44	2.63	99.65	2.64	100.00
9	गुजरात	91.18	65.16	71.46	91.18	100.00	91.18	100.00
10	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	30.41	100.00	30.41	100.00
11	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	17.09	100.00	17.09	100.00
12	जम्मू और कश्मीर	19.26	5.75	29.89	14.44	74.96	15.64	81.22
13	झारखंड	62.53	3.45	5.52	32.29	51.63	34.45	55.09
14	कर्नाटक	101.31	24.51	24.20	76.66	75.67	87.54	86.41
15	केरल	70.77	16.64	23.51	37.14	52.48	38.76	54.77
16	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.38	92.84	0.40	97.60
17	लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.00	0.11	81.05	0.12	91.45
18	मध्य प्रदेश	111.48	13.53	12.14	68.69	61.62	81.02	72.67
19	महाराष्ट्र	146.78	48.44	33.00	125.01	85.17	132.40	90.20
20	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.53	78.18	3.59	79.60
21	मेघालय	6.51	0.05	0.70	4.99	76.60	5.42	83.26
22	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.33	100.00	1.33	100.00
23	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.18	87.31	3.42	93.94
24	ओडिशा	88.65	3.11	3.51	64.71	72.99	68.38	77.14
25	पुडुचेरी	1.15	0.94	81.33	1.15	100.00	1.15	100.00
26	पंजाब	34.27	16.79	48.98	34.18	99.74	34.27	100.00
27	राजस्थान	107.74	11.74	10.90	51.02	47.35	62.06	57.60
28	सिक्किम	1.33	0.70	52.97	1.18	88.80	1.22	92.09
29	तमिलनाडु	125.26	21.76	17.37	102.54	81.86	111.96	89.38
30	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	53.98	100.00	53.98	100.00
31	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.26	5.91	78.67	6.47	86.23
32	उत्तर प्रदेश	267.21	5.16	1.93	215.18	80.53	242.75	90.85
33	उत्तराखंड	14.49	1.30	9.00	13.65	94.21	14.16	97.78
34	पश्चिम बंगाल	175.52	2.15	1.22	81.66	46.52	99.09	56.45
		1,936.16	**323.63**	**16.71**	**1462.22**	**75.52**	**1575.98**	**81.40**

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस एचएच: परिवार

अनुबंध-II

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1867 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(परिवार संख्या में)

राज्य	जिला	कुल ग्रामीण परिवार	15.8.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		08.12.2025 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	% में	संख्या	% में
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र: जलगाँव						
महाराष्ट्र	जलगाँव	6,90,913	3,97,945	57.60	6,90,791	99.98
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र: पालघर						
महाराष्ट्र	पालघर	4,52,043	41,349	9.15	3,17,848	70.31
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र: चिक्कबल्लापुर						
कर्नाटक	चिक्कबल्लापुर	2,47,536	45,961	18.57	1,99,302	80.51
	बेंगलुरु ग्रामीण	2,08,818	32,602	15.61	1,76,373	84.46
	बेंगलुरु शहरी	3,17,618	61,233	19.28	2,12,138	66.79
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र: शहडोल						
मध्य प्रदेश	अनूपपुर	1,25,191	11,362	9.08	1,07,949	86.23
	शहडोल	2,02,130	12,990	6.43	1,53,775	76.08
	उमरिया	1,02,948	7,486	7.27	83,840	81.44
	कटनी	2,13,570	25,246	11.82	1,83,054	85.71
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र: सीधी						
मध्य प्रदेश	सीधी	1,92,464	17,446	9.06	95,312	49.52
	सिंगरौली	1,60,730	2,015	1.25	61,803	38.45
	शहडोल	2,02,130	12,990	6.43	1,53,775	76.08

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस एचएच: परिवार